पत्र संख्या : 7ब/2701 गै०यो० ज०सं० 04/12..........270

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस० के० शतपथी
प्रधान सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/रॉची/हजारीबाग
मुख्य अभियंता (यॉ0)/अग्रिम योजना, जल संसाधन विभाग
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित निकासी एवं एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखंड।

रॉची, दिनांक : 30.3.2013

विषय :– वित्तीय वर्ष 2012–13 के मांग संख्या– 49 जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष–2701– मध्यम सिंचाई उप मुख्य शीर्ष–03–मध्यम सिंचाई–वाणिज्यिक, लघु शीर्ष–001 निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष–07–मध्यम सिंचाई परियोजना मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2012–13 में बजट मुख्य शीर्ष **2701– मध्यम सिंचाई** के अंतर्गत परिशिष्ट–I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :–

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग/ 2701–मध्यम सिंचाई	03 मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक	001–निदेशन तथा प्रशासन/ 07–मध्यम सिंचाई परियोजना	**-18.785**

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि – ऋणात्मक रुपये अठारह लाख अठहत्तर हजार पॉच सौ मात्र

2. आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2012–13 के बजट उपबंध **₹ 8890.52 लाख** एवं प्रथम अनुपूरक (वित्त विभाग का पत्रांक 11/बी० टी० ई०– 04/2012/310/बजट दिनांक 17.09.12) से प्राप्त राशि ₹ 56.34 लाख सहित कुल ₹ 8946.86 लाख **(नवासी करोड़ छियालीस लाख छियासी हजार मात्र)** के अंतर्गत है।

3. आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्त्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि० (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि०) दि० 15.07.2003 के आलोक में होगा।

4. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

5. आवंटित राशि से दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का वेतनादि या अन्य दायित्व का भुगतान बिना विभागीय अनुमति के नहीं किया जाय।

6. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगें ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।

(सुरेश प्रसाद भगत) सहा० अभि०	(जयप्रकाश भट्टाचार्या) उप सचिव (अभि०)	(एस0के0सिन्हा) संयुक्त सचिव (अभि०)	(बी० सी० निगम) विशेष सचिव

7. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

8. यदि आवंटित गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगें। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य के साथ अधियाचना प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं किया जायेगा।

9. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन एवं भत्ता को छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का तुरत प्रत्यर्पण कर दें।

10. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का दायित्व होगा।

11. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

12. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका **इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2013** तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (http://www.wrdjharkhand.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

अनु॰ :– यथोक्त

(एस॰ के॰ शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 270 रॉची, दिनांक :– 30.3.2013

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखण्ड पो॰ – **हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी**, रॉची/डोरंडा/देवघर/मधुपुर/दुमका/गोड्डा/चाईबासा/साहेबगंज/राजमहल/पाकुड़/जामताड़ा/ हजारीबाग/गुमला/सिमडेगा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰ :– यथोक्त

(एस॰ के॰ शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 270 रॉची, दिनांक :– 30.3.2013

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो॰), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि॰)/उप सचिव (अभि॰), जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/वेब सूचना प्रबंधक, ज॰सं॰वि॰ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰ :– यथोक्त

(सुरेश प्रसाद भगत)	(जयप्रकाश भट्टाचार्या)	(एस॰ के॰ सिन्हा)	(बी॰ सी॰ निगम)	**(एस॰ के॰ शतपथी)**
सहा॰ अभि॰	उप सचिव (अभि॰)	संयुक्त सचिव (अभि॰)	विशेष सचिव	प्रधान सचिव

परिशिष्ट I

पत्रांक 270 दिनांक 30.3.12 का अनुलग्नक

मुख्य शीर्ष–2701–मध्यम सिंचाई/उप मुख्य शीर्ष–03–मध्यम सिंचाई–वाणिज्यिक
लघु शीर्ष–001–निदेशन तथा प्रशासन/उप शीर्ष–07–मध्यम सिंचाई परियोजना
मांग संख्या–49–जल संसाधन विभाग

राशि लाख रूपये में

क्र0 सं0	वित्तीय वर्ष 2012–2013 कार्यालय का नाम	विपत्र कोड	विस्तृत शीर्ष–01–वेतन एवं भत्तें: वेतन 49N270103001070101	जीवन यापन भत्ता 49N270103001070101	योग 49N270103001070101	15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि 49N270103001070110	एल0टी0सी0 49N270103001070112	विस्तृत शीर्ष–02–यात्रा व्यय: देशीय यात्रा व्यय 49N270103001070213	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय: कार्यालय व्यय 49N270103001070315	किराया,दरें, कर 49N270103001070316	आपूर्ति एवं सामग्री 49N270103001070323	दूरभाष 49N270103001070333	वर्दी 49N270103001070334	विद्युत व्यय 49N270103001070337	विस्तृत शीर्ष–04–मोटरगाड़ियां: मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मति 49N270103001070442	विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय: विधि प्रभार 49N270103001070760	कुल योग	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, देवघर	पूर्व का आवंटन	38.000	26.000	64.000	0.000	0.000	0.900	1.300	0.000	0.000	0.550	0.050	0.000	1.250	0.000	68.050	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.700	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.700	
		कुल आवंटन	38.000	26.000	64.000	0.000	0.000	1.600	1.300	0.000	0.000	0.550	0.050	0.000	1.250	0.000	68.750	
2	अग्रिम योजना अंचल रॉची	पूर्व का आवंटन	11.300	7.000	18.300	0.000	0.000	0.250	0.700	0.000	0.500	0.140	0.000	0.000	1.300	0.000	21.190	
		अतिरिक्त आवंटन	0.100	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.100	
		कुल आवंटन	11.400	7.000	18.400	0.000	0.000	0.250	0.700	0.000	0.500	0.140	0.000	0.000	1.300	0.000	21.290	
3	जलपथ अंचल, चाईबासा	पूर्व का आवंटन	57.000	34.000	91.000	0.000	0.000	1.215	0.600	0.000	0.000	0.150	0.250	0.000	0.800	0.050	94.065	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.360	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.560	
		कुल आवंटन	57.000	34.000	91.000	0.000	0.000	1.575	0.700	0.000	0.000	0.150	0.250	0.000	0.900	0.050	94.625	
4	जलपथ अंचल, रॉची	पूर्व का आवंटन	120.000	70.490	190.490	0.190	0.000	4.087	0.600	0.000	0.000	0.250	0.250	0.250	0.432	0.000	196.549	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-0.200	0.000	0.000	0.000	-0.030	0.000	0.000	0.000	0.000	-0.230	
		कुल आवंटन	120.000	70.490	190.490	0.190	0.000	3.887	0.600	0.000	0.000	0.220	0.250	0.250	0.432	0.000	196.319	
5	सिंचाई अंचल, जामताड़ा	पूर्व का आवंटन	48.000	36.220	84.220	0.000	0.000	1.276	0.700	0.000	0.000	0.150	0.175	0.100	1.000	0.050	87.671	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.060	0.000	0.000	0.060	
		कुल आवंटन	48.000	36.220	84.220	0.000	0.000	1.276	0.700	0.000	0.000	0.150	0.175	0.160	1.000	0.050	87.731	
6	सिंचाई अंचल, साहेबगंज	पूर्व का आवंटन	41.000	25.800	66.800	0.000	0.050	1.073	0.600	0.000	0.100	0.150	0.175	0.100	1.000	0.000	70.048	
		अतिरिक्त आवंटन	-2.000	-1.000	-3.000	0.000	-0.050	-0.070	0.081	0.000	0.000	-0.038	0.000	-0.038	0.180	0.000	-2.935	
		कुल आवंटन	39.000	24.800	63.800	0.000	0.000	1.003	0.681	0.000	0.100	0.112	0.175	0.062	1.180	0.000	67.113	
7	सिंचाई यांत्रिक अंचल ,रॉची	पूर्व का आवंटन	20.810	15.000	35.810	0.000	0.100	1.060	0.600	0.000	0.250	0.150	0.050	0.200	0.800	0.050	39.070	
		अतिरिक्त आवंटन	-3.070	-3.000	-6.070	0.000	-0.100	-0.452	0.000	0.000	0.000	-0.105	0.000	-0.200	0.000	-0.500	-7.427	
		कुल आवंटन	17.740	12.000	29.740	0.000	0.000	0.608	0.600	0.000	0.250	0.045	0.050	0.000	0.800	-0.450	31.643	
8	जलपथ प्रमंडल सं.–1, चक्रधरपुर	पूर्व का आवंटन	70.000	45.330	115.330	0.000	0.000	1.419	0.500	1.020	0.000	0.020	0.575	0.500	0.200	0.000	119.564	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.178	0.000	0.000	0.178	
		कुल आवंटन	70.000	45.330	115.330	0.000	0.000	1.419	0.500	1.020	0.000	0.020	0.575	0.678	0.200	0.000	119.742	
9	जलपथ प्रमंडल सं.–2, चक्रधरपुर 'शिविर – चाईबासा	पूर्व का आवंटन	82.000	49.000	131.000	0.000	0.200	1.536	0.660	0.000	0.000	0.050	0.525	0.000	0.000	0.000	133.971	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.190	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.190	
		कुल आवंटन	82.000	49.000	131.000	0.000	0.200	1.726	0.660	0.000	0.000	0.050	0.525	0.000	0.000	0.000	134.161	
10	जलपथ प्रमंडल सं. –1,चैनपुर शिविर गुमला	पूर्व का आवंटन	97.360	51.800	149.160	0.000	0.200	1.871	0.500	0.000	0.000	0.150	0.700	0.100	0.000	0.200	152.881	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.200	
		कुल आवंटन	97.360	51.800	149.160	0.000	0.200	1.871	0.500	0.000	0.000	0.150	0.700	0.100	0.000	0.400	153.081	
11	जलपथ प्रमंडल सं. –2,चैनपुर गुमला	पूर्व का आवंटन	79.000	48.000	127.000	0.000	0.200	1.097	0.500	0.000	0.000	0.150	0.350	0.000	0.000	0.200	129.497	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.200	
		कुल आवंटन	79.000	48.000	127.000	0.000	0.200	1.097	0.500	0.000	0.000	0.150	0.350	0.000	0.000	0.400	129.697	

(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता

(जयप्रकाश भट्टाचार्या)
उप सचिव (अभि0)

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि0)

(बी0 सी0 निगम)
विशेष सचिव

(एस0 के0 शतपथी)
प्रधान सचिव

क0 सं0	वित्तीय वर्ष 2012–2013		विस्तृत शीर्ष–01–वेतन एवं भत्तें					विस्तृत शीर्ष–02–यात्रा व्यय	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय						विस्तृत शीर्ष–04–मोटरगाड़ियां	विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय	राशि लाख रूपये में	
	कार्यालय का नाम		वेतन	जीवन यापन भत्ता	योग	15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि	एल0टी0सी0	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया,दरें, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मति	विधि प्रभार	कुल योग	अभियुक्ति
		विपत्र कोड	49N270103001 070101	49N270103001 070101	49N270103001 070101	49N270103001 070110	49N270103001 070112	49N270103001 070213	49N2701030 01070315	49N2701030 01070316	49N2701030 01070323	49N270103 001070333	49N2701030 01070334	49N270103 001070337	49N270103001 070442	49N2701030 01070760		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
12	जलपथ प्रमंडल सं.–1, सिमडेगा	पूर्व का आवंटन	127.100	76.010	203.110	0.000	0.100	2.062	0.500	0.000	0.000	0.050	1.150	0.100	0.300	0.330	207.702	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.285	0.285	
		कुल आवंटन	127.100	76.010	203.110	0.000	0.100	2.062	0.500	0.000	0.000	0.050	1.150	0.100	0.300	0.615	207.987	
13	पुनर्वास पदाधिकारी, देवघर	पूर्व का आवंटन	56.100	25.730	81.830	0.135	0.100	0.350	0.350	0.000	0.000	0.000	0.125	0.000	0.000	0.000	82.890	
		अतिरिक्त आवंटन	-0.170	0.000	-0.170	0.000	0.000	-0.092	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-0.262	
		कुल आवंटन	55.930	25.730	81.660	0.135	0.100	0.258	0.350	0.000	0.000	0.000	0.125	0.000	0.000	0.000	82.628	
14	पुनर्वास पदाधिकारी, मध्यम सिंचाई परियोजना, रॉंची	पूर्व का आवंटन	52.410	28.370	80.780	0.000	0.000	0.203	0.500	0.000	0.000	0.150	0.050	0.050	0.800	0.100	82.633	
		अतिरिक्त आवंटन	-0.060	0.000	-0.060	0.000	0.000	0.000	-0.053	0.000	0.000	-0.087	0.000	0.000	-0.280	-0.085	-0.565	
		कुल आवंटन	52.350	28.370	80.720	0.000	0.000	0.203	0.447	0.000	0.000	0.063	0.050	0.050	0.520	0.015	82.068	
15	रूपांकण प्रमंडल सं.–2, देवघर	पूर्व का आवंटन	49.020	35.520	84.540	0.000	0.000	2.012	0.500	0.000	0.000	0.000	0.250	0.000	0.000	0.000	87.302	
		अतिरिक्त आवंटन	-1.390	0.000	-1.390	0.000	0.000	-0.029	-0.128	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-1.547	
		कुल आवंटन	47.630	35.520	83.150	0.000	0.000	1.983	0.372	0.000	0.000	0.000	0.250	0.000	0.000	0.000	85.755	
16	विशेष भू–अर्जन पदा0 तेनुघाट परियोजना , हजारीबाग	पूर्व का आवंटन	92.000	49.500	141.500	0.000	0.100	0.450	0.800	0.000	0.000	0.000	0.150	0.000	0.600	0.000	143.600	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.250	
		कुल आवंटन	92.000	49.500	141.500	0.000	0.100	0.700	0.800	0.000	0.000	0.000	0.150	0.000	0.600	0.000	143.850	
17	विशेष भू–अर्जन पदा0 मध्यम सिंचाई परियोजना, दुमका	पूर्व का आवंटन	66.120	47.040	113.160	0.000	0.100	0.537	0.500	0.000	0.000	0.000	0.150	0.000	0.600	0.020	115.067	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.381	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.381	
		कुल आवंटन	66.120	47.040	113.160	0.000	0.100	0.918	0.500	0.000	0.000	0.000	0.150	0.000	0.600	0.020	115.448	
18	सिंचाई प्रमंड़ल गोड्डा, शिविर–महगामा	पूर्व का आवंटन	95.000	55.000	150.000	0.000	0.000	1.220	0.500	0.000	0.000	0.100	0.500	0.000	0.000	0.000	152.320	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-0.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-0.500	
		कुल आवंटन	95.000	55.000	150.000	0.000	0.000	0.720	0.500	0.000	0.000	0.100	0.500	0.000	0.000	0.000	151.820	
19	सिंचाई प्रमंड़ल, पाकुड़	पूर्व का आवंटन	74.000	45.000	119.000	0.000	0.000	2.904	0.500	0.000	0.000	0.100	0.250	0.250	0.000	0.100	123.104	
		अतिरिक्त आवंटन	-2.000	0.000	-2.000	0.000	0.000	-0.925	0.000	0.000	0.000	-0.050	-0.025	0.000	0.000	-0.100	-3.100	
		कुल आवंटन	72.000	45.000	117.000	0.000	0.000	1.979	0.500	0.000	0.000	0.050	0.225	0.250	0.000	0.000	120.004	
20	सिंचाई प्रमंडल, सिकटिया	पूर्व का आवंटन	80.680	57.670	138.350	0.000	0.000	1.069	0.600	0.000	0.000	0.000	0.675	0.000	0.000	0.500	141.194	
		अतिरिक्त आवंटन	-0.470	0.000	-0.470	0.000	0.000	0.360	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-0.110	
		कुल आवंटन	80.210	57.670	137.880	0.000	0.000	1.429	0.600	0.000	0.000	0.000	0.675	0.000	0.000	0.500	141.084	
21	सिंचाई प्रमंड़ल, सं0–1,बरहेट	पूर्व का आवंटन	80.900	40.450	121.350	0.130	0.000	1.248	0.600	0.000	0.000	0.050	0.575	0.200	0.000	0.150	124.303	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.450	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.450	
		कुल आवंटन	80.900	40.450	121.350	0.130	0.000	1.698	0.600	0.000	0.000	0.050	0.575	0.200	0.000	0.150	124.753	
22	सिंचाई प्रमंडल, सं0–2,जामताड़ा	पूर्व का आवंटन	66.000	39.000	105.000	0.000	0.000	2.483	0.500	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	0.000	0.000	108.283	
		अतिरिक्त आवंटन	-5.240	0.000	-5.240	0.000	0.000	-0.423	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-5.663	
		कुल आवंटन	60.760	39.000	99.760	0.000	0.000	2.060	0.500	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	0.000	0.000	102.620	
	अतिरिक्त आवंटन का योग		-14.300	-4.000	-18.300	0.000	-0.150	0.000	0.000	0.000	0.000	-0.310	-0.025	0.000	0.000	0.000	-18.785	

नोटः वित्त विभाग के पत्रांक 11/विविध–14/2010–50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत मद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया शून्य मानते हुए नये सिरे से बिपत्रीकरण के आधार पर ही भुगतान अनुमान्य है।

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि – ऋणात्मक रुपये अठारह लाख अठहत्तर हजार पाँच सौ मात्र

(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता

(जयप्रकाश भट्टाचार्या)
उप सचिव (अभि.)

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी० सी० निगम)
विशेष सचिव

(एस0 के0 शतपथी)
प्रधान सचिव

270
30.3.2013